

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतमनगर भोपाल-462021

दूरभाष : 91-755-2583650, फेक्स 2583651 ई-मेल dpvidhye@gmail.com

क्रमांक / विद्या / शिक्षक कल्याण अंश / 2018 / 4084

भापाल, दिनांक / 22/07/2018

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान में शिक्षकों द्वारा देय अंशदान की राशि जमा कराने बाबत।
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र/विद्या/राशिकप्र/का.स./बैठक/2018/82 भापाल दिनांक 11.07.2018
एवं इस कार्यालय का पत्र क्र/विद्या/शिक्षक कल्याण अंश/2018/2500, 2501, भापाल दिनांक
30.07.2018

—00—

विषयान्तर्गत के संबंध में संदर्भित पत्रों का अवलोकन किया जाये। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश में कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 24.03.2018 के संदर्भित कार्यवाही विवरण के निर्णय बिन्दु क्र 02 से 05 में प्रदेश के शिक्षकों द्वारा शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान को वार्षिक अंशदान की राशि जुलाई-अगस्त माह में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के इलाहाबाद बैंक गौतम नगर भापाल क बैंक खाता क्रमांक 50303328695 आई.एफ.एस.सी. कोड क्रमांक ए.एल.एल.ए. 0212839 में जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं। शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान में वर्ष 2018-19 की अंशदान राशि आपके जिले से अप्राप्त है।

सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक से रुपये 100/-, शिक्षक/अध्यापक से रुपये 150/- तथा प्राचार्य/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक से रुपये 200/- एवं सहायक संचालक एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारियों से रुपये 300/- प्रतिवर्ष अंशदान स्वैच्छिक रूप से शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान में जमा कराया जाना है। अतः आपके अधीनस्थ समस्त प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक को निर्देशित करें कि वह अपन अधीनस्थ कार्यरत समस्त शैक्षिक संवर्ग के अमले से स्वैच्छिक रूप से शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान हेतु निर्धारित अंशदान की राशि प्राप्त कर शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के उक्त बैंक खाते में शीघ्र जमा करायें।

(डी एस कुशवाह)
अपर संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश